बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–9/अ0प्र0–01ता0–140/24 7821 अनु0 /पटना, दिनांक– 26/11/24

प्रेषक,

अवर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः–श्रीमती रीना देवी, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न नेवा डायरी संख्या–1/208/196 के संबंध में।

प्रसंगः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना का पत्रांक 2008 अनु0 दिनांक 23.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि श्रीमती रीना देवी, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न नेवा डायरी संख्या–1/208/196 में वर्णित पथ खेमनीचक से नयाचक–बेईमान टोला–मनोहरपुर कछुआरा होते हुए बैरिया तक का पथांश नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित पथांश का उत्तर प्रतिवेदन संलग्न करते हुए कहना है कि इस प्रश्न का उत्तर समेकित रूप से अपने स्तर से बिहार विधान परिषद्, सचिवालय को उपलब्ध कराया जाय। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

26/11/24

अवर सचिव

ज्ञापांकः–9/अ0प्र0–01ता0–140/24 7821 /पटना, दिनांकः– 26/11/24

प्रतिलिपि–उप सचिव, बिहार विधान परिषद्, सचिवालय, पटना के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/24

अवर सचिव

ज्ञापांकः–9/अ0प्र0–01ता0–140/24 7821 /पटना, दिनांक– 26/11/24

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/24

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्
तारांकित प्रश्न नेवा डायरी संख्या–1/208/196

श्रीमती रीना देवी, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न नेवा डायरी संख्या–1/208/196 क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		**श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग**	
प्रश्न		**उत्तर**	
क	क्या यह सही है कि पटना बाइपास के दक्षिण अवस्थित मुलल्ला–खेमनीचक से नयाचम–बेइमान टोला–मनोहरपुर कछुआरा होते हुए बैरिया तक जाने वाली सड़क सिंगल लेने की है तथा घनी बसावट हो जाने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है;	क	स्वीकारात्मक है।
ख	क्या यह सही है कि खेमनीचक में मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन निर्माणाधीन है, सिंगल सड़क रहने के कारण आने वाले दिनों में राहगीरों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा;	ख	स्वीकारात्मक है।
ग	क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों की मुख्य सड़कों को डबल लेन करने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है;	ग	वस्तुस्थिति यह है कि ट्रैफीक की गणना के आधार पर पथ की चौड़ाई एवं पथ का निरूपण निर्धारित किया जाता है। तदनुसार ट्रैफीक गणना के फलस्वरूप अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
घ	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड ''क' में वर्णित सड़क का डबल लेन कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक ?		प्रश्नाधीन पथ आरेखन में कुल चार पथ है, जिसकी कुल लम्बाई 6.10 कि0मी0 है। 1. 0 से 0.80 कि0मी0 तक पथ **नगर परिषद** सम्पतचक द्वारा निर्मित है। 2. 0.80 से 3.20 कि0मी0 तक पथ का मरम्मति कार्य शीर्ष 3054 मरम्मति योजना अन्तर्गत कराया गया था जो सम्प्रति पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। 3. 3.20 से 3.60 कि0मी0 तक पथ का निर्माण शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत कराया था जो सम्प्रति पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। 4. 3.60 से 6.10 कि0मी0 तक पथ का मरम्मति कार्य शीर्ष 3054 मरम्मति योजना

			अन्तर्गत कराया था जो सम्प्रति पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। पथ का निरूपण ट्रैफीक की गणना के आधार पर किया जाता है। ट्रैफीक की गणना के फलस्वरूप सर्वे करा कर वांछित चौड़ाई एवं निरूपण के अनुरूप पथ का पुनर्निमाण /उन्नयन/नवीनीकरण हेतु ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत करायी जा सकेगी।